



Neutral Citation No. 2026:AHC:60810

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या: 2363 वर्ष 2026

हेमन बर्मन

....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

..विपक्षी(गण)

आवेदक के अधिवक्ता: गुंजन शर्मा

विपक्षी के अधिवक्ता: जी.ए.

न्यायालय संख्या 69

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक की विद्वान अधिवक्ता सुश्री गुंजन शर्मा, राज्य-प्रतिवादी की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री मनोज गौतम को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक हेमन बर्मन की ओर से थाना साइबर क्राइम, जिला मुजफ्फरनगर में पंजीकृत केस अपराध संख्या 0007/2024, धारा 420, 419, 384 आईपीसी और धारा 66C, 66D आई.टी. अधिनियम के अंतर्गत, मुकदमे के लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात के विरुद्ध दर्ज की गई थी, लेकिन आवेदक को केस अपराध संख्या 31/2024 के संबंध में गिरफ्तार किया गया था और उसे उपरोक्त मामले में दर्ज उसके इकबालिया बयान के आधार पर वर्तमान मामले में फंसाया गया है। आवेदक वचन देता है कि यदि उसे स्वतंत्रता दी जाती है, तो वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बताया गया है कि न्यायालय में मामलों के भारी लंबित होने के कारण, मुकदमे के जल्द समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि आवेदक को केस अपराध संख्या 31/2024 के संबंध में गिरफ्तार किया गया था और उसे उपरोक्त मामले में दर्ज उसके इकबालिया बयान के आधार पर वर्तमान मामले में फंसाया गया है।
5. तथ्यों की समग्रता, प्रकृति और रिकॉर्ड से प्रतिबिंबित साक्ष्यों पर विचार करने के बाद और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत के लिए उपयुक्त मामला पाता हूँ। अतः, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
6. उपरोक्त केस अपराध में शामिल **आवेदक-हेमन बर्मन** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार 30,000/- रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाएगा :-
 - (i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे अदालत या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न की जा सके।
 - (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें नहीं डराएगा।
 - (iii) आवेदक (i) मामला खोलने, (ii) आरोप तय करने और (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहेगा।
 - (iv) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए नियत तिथियों पर, जब गवाह ट्रायल कोर्ट में उपस्थित हों, कोई स्थगन नहीं मांगेगा।
 - (v) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने वकील के माध्यम से ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहेगा।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।
8. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात इस जमानत आवेदन के निर्धारण के उद्देश्य तक सीमित है और इसे किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। ट्रायल कोर्ट इस आदेश में कही गई किसी भी बात से प्रभावित हुए बिना, पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होगा।

23 मार्च, 2026

(जितेन्द्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।